

7* पेंशन का सारांशिकरण

7.1 तात्पर्य—

यह पेंशन के किसी भाग के सारांशिकरण मूल्य का एक—मुश्त भुगतान है। सारांशिकरण मूल्य की राशि कंडिका 7.8 में दर्शाई गई है।

7.2 पात्रता —

प्रत्येक पेंशनर उसकी मासिक पेंशन के किसी भाग (एक तिहाई की अधिकतम सीमा के अधीन) एक मुश्त भुगतान हेतु सारांशिकृत कराने हेतु पात्र है। असमर्थता पेंशन के प्रकरणों को छोड़कर सभी प्रकरणों में स्वीकृत/स्वीकार्य पेंशन के 1/3 भाग की अधिकतम सीमा के अंदर पेंशन के किसी भाग का सारांशिकरण कराया जा सकता है। असमर्थता के प्रकरण में, यदि न्यूनतम पेंशन स्वीकृत/स्वीकार्य है तो वास्तविक स्वीकृत पेंशन के किसी भाग का ही सारांशिकरण किया जा सकता है और यह भाग न्यूनतम पेंशन से कम किया जाता है यदि किसी पेंशनर के विरुद्ध कोई न्यायिक या विभागीय जांच चालू है या चालू की गई है तो उसे पेंशन के सारांशिकरण की पात्रता जांच लंबित रहने तक नहीं है।

7.3 सारांशिकरण की प्रभावशीलता—

(1) ऐसे प्रकरणों में, जहां सारांशिकरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति की तारीख को अथवा उसके पूर्व प्राप्त हो जाते हैं — सेवानिवृत्ति की तिथि के आगामी दिनांक को।

(2) जहां बिना चिकित्सीय जांच के सारांशिकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर कार्यालय प्रमुख को प्राप्त हो जाते हैं — कार्यालय प्रमुख को प्राप्ति दिनांक।

(3) चिकित्सा जांच के प्रकरणों में —

उस दिनांक को जब चिकित्सा प्राधिकारी, चिकित्सा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करता है।

7.4 सारांशिकृत राशि की गणना –

पेंशन के किसी भाग के सारांशिकरण कराने पर देय राशि का निर्धारण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सारांशिकरण मूल्य के आधार पर किया जाता है । सारांशिकरण मूल्य, पेंशनर की सेवानिवृत्ति के बाद आगामी जन्म दिनांक को आयु अथवा चिकित्सा प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट आयु के सापेक्ष होता है । सारांशिकरण कराने के पश्चात देय राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है :-

देय राशि = पेंशन की सारांशिकृत राशि ग 12 ग विद्यमान सारांशिकरण मूल्य

(वर्षों की संख्या के क्रय के रूप में कम्यूटेशन मूल्य)

7.5 सारांशिकरण पर पेंशन की कटौती –

सारांशिकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती सारांशिकृत राशि पेंशनर द्वारा प्राप्त करने के दिनांक से अथवा सारांशिकरण प्राधिकार पत्र जारी होने के दिनांक से तीन माह बाद से जो भी पहले हो, प्रभावशील हो जाती है ।

7.6 सारांशिकरण राशि का पुनरीक्षण –

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप जब पेंशन का पुनरीक्षण किया जाता है तो पुनरीक्षित सारांशिकृत राशि का भुगतान भी प्राधिकृत किया जाता है एवं इस हेतु पेंशनर को औपचारिक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु जहां पूर्व में एक निश्चित राशि का (पेंशन के किसी भाग का नहीं) ही सारांशिकरण कराया गया था, सारांशिकृत राशि का पुनरीक्षण नहीं किया जाता है ।

7.7 सारांशिकरण भाग का पुनर्स्थापन –

पेंशनर जिस माह में 15 वर्ष अथवा 75 वर्ष की आयु (18 फरवरी 2002 के पश्चात के प्रकरणों में प्रभावशील) जो भी पश्चातवर्ती हो पूर्ण या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात जो भी पश्चातवर्ती हो उसके आगामी माह की पहली तारीख से पेंशन का लघुकृत भाग, पेंशनर द्वारा आवेदन करने पर, पुनः स्थापित कर दिया जाता है । अतः उक्त दिनांक से उसे मूल पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाता है ।

7.8 सारांशिकृत मूल्य तालिका (दिनांक 18.2.2000 से प्रभावशील एक रूपया प्रतिवर्ष पेंशन का कम्यूटेशन मूल्य)

अगली जन्मतिथि पर आयु (1)	वर्षों की संख्या के क्रय के रूप में कम्यूटेशन मूल्य (2)
40	7.48
41	7.46
42	7.43
43	7.38
44	7.35
45	7.31
46	7.25
47	7.20
48	7.13
49	7.06
50	6.97
51	6.88
52	6.77
53	6.65
54	6.52
55	6.37
56	6.20
57	6.00
58	5.78
59	5.53
60	5.25
61	4.93
62	4.58
63	4.17
64	3.72
65	3.20
66	2.81
67	2.38
68	1.89
69	1.33
70	0.71

